foRr fun'k 33@2014

NRrhlx< 'kklu
foRr foHkkx
e=ky;]
egkunh Hkou] u;k jk;iqj

क्रमांक 235/एफ–2014–02–00470/वित्त/नियम/चार/14 नया रायपुर, दिनांक 26 मई, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

fo"k; %& 'kkldh; lsodksa ij vkfJr lcf/k;ksa dk fy, vk; dh vf/kdre lhekA

lanHk %& foRr foHkkx dk Kkiu dekad 230@146@foRr@fu;e@pkj@2007 fnukad 06 vxLr] 2007

———

संदर्भित ज्ञापन द्वारा छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 9 (32) के नीचे पूरक नियम (8) में परिभाषित 'परिवार' के सदस्यों को 'पूर्णतः आश्रित' मानने हेतु आय की अधिकतम सीमा रूपये 1500/– प्रतिमाह निर्धारित की गई है। राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि उक्त सीमा में वृद्धि की जाकर 3050/– प्रतिमाह की जाये।

तद्नुसार शासकीय सेवक के, ऐसे वैध बच्चे अथवा सौतेले बच्चे, माता–पिता, अविवाहित बहनें, विधवा बहनें (यदि उनके पिता जीवित न हो अथवा पिता स्वयं भी संबंधित शासकीय सेवक पर पूर्णतः आश्रित हो) और अवयस्क भाई जो शासकीय सेवक के साथ रहते हों और जिनकी आय पेंशन (पेंशन में अस्थाई वृद्धि तथा मृत्यु–सह सेवा निवृत्ति उपदान के समान पेंशन लाभों को जोड़कर) तथा अन्य स्त्रोतों को शामिल करते हुए रूपये 3050/– प्रतिमाह से अधिक नहीं है, शासकीय सेवक पर 'पूर्णतः आश्रित' माने जावेंगे। आय के निर्धारण हेतु पेंशन की राशि में महंगाई पेंशन तथा महंगाई राहत शामिल नहीं किया जाएगा।

वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक 1342/सी.आर./2554/4/नि–1/72, दिनांक 17.11.72, जो अवकाश यात्रा सुविधा से संबंधित है, की कंडिका–1[v] में दी गई परिवार की परिभाषा के अंतर्गत ''पूर्णतः आश्रित सदस्य'' मान्य करने हेतु उपर्युक्त कंडिका में दी गई आय सीमा लागू होगी। अवकाश यात्रा सुविधा के लिए वित्त विभाग के उक्त ज्ञापन दिनांक 17.11.1972 की कंडिका–1[v] में 'परिवार' की जो परिभाषा दी गई है, वह यथावत् रहेगी।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा तथा पूर्व में निराकृत प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा।

(एस.के.चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 236/एफ–2014–02–00470/वित्त/नियम/चार/14 नया रायपुर, दिनांक 26 मई, 2014

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को उनके अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक/निधि–01/1204 दिनांक 29/11/2013 के संबंध में ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया नया रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु । की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(d:.kk ik.M;)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी,
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग